



(5) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-123-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/14-21-प्र०सु०/2001

दिनांक 17 फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-505-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/13-21-प्र०सु०/2001 दिनांक 04.05.2013 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-590-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/13-21-प्र०सु०/2001 दिनांक 31.05.2013 को अवक्रमित करते हुए एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय के विद्युत वितरण निगमों में आवंटन के उपरान्त उनके तैनाती/स्थानान्तरण के आदेश सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आदेशों का नियमानुसार अनुमोदन मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्देशों के अनुपालन में शासन द्वारा गठित द्वि-सदस्यीय समिति से सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा ही प्राप्त किया जायेगा।

ऐसे सभी प्रकरणों में जहां स्थानान्तरण एक निगम से दूसरे निगम में आवश्यक है, सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाएंगे। आवंटन आदेश प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अनुमोदनोपरान्त जारी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: -123(1)-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/14 तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष से संबद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक से संबद्ध निजी सचिव उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल-मैरठ/मध्यांचल-लखनऊ/ पूर्वान्चल-वाराणसी/दक्षिणांचल-आगरा विद्युत वितरण निगम लि०।
5. समस्त निदेशकगण से संबद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2), उ०प्र०पा०का०लि०।

कमश:.....

उपरोक्त निकायों के प्रारंभिक कार्य (2)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)



- 7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति, लखनऊ।
- 8. अपर सचिव (का०प्र०-प्रथम)/द्वितीय/तृतीय उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11. ✓ अधिशासी अभियन्ता, वेव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

[Signature]
17-02-14
(इन्द्रमणि)

उप सचिव (ज०श० एवं प्र०सु०)

हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कॉन्ट्रोल नंबर \ शीट नंबर \ 10-0708 प्र० सं० (1) 651 - 01

हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

- 1. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 3. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 4. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 5. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 6. उपरोक्त सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उ०प्र०पा०का०लि० के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।